

भाग - 2

12

7.	परियोजना का विवरण	विन्ध्या टेलीलिकस लिमिटेड, ई0पी0सी0 डिवीजन प्लाट नं0 ई 237 टावर ग्रीन, तृतीय तल फेज-8 वी औद्योगिक क्षेत्र मोहाली द्वारा खागा-विजईपुर-नरैनी-सातों-औरेई-रामपुर किमी0 0.00 से 27.50 तक एवं खागा-नौवस्ता- हुसैनगंज-फतेहपुर किमी0 0.00 से 59.00 तक कुल लम्बाई 86.50 किमी0 एवं 0.8961 हे0 संरक्षित वन भूमि में विना वृक्ष पातन के आर्टिकल फाइवर केवल विछाये जाने हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति मांगी जा रही है।
(I)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(II)	जिला	फतेहपुर
(III)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर
(IV)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.) में	0.8961 हे0
(V)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित
(VI)	हरियाली का घनत्व	0.3
(VII)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेत्रीय वृक्षों की परिगणना (सलंग की जाए) सिचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक और एल.एफ. और एल.-2 मीटर पर परिगणना और आर. एल.-4 मीटर भी सलंग किये जाए	लागू नहीं है
(VIII)	भूरक्षण के लिए वन क्षेत्र की सर्वेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	सर्वेदनशील नहीं है
(IX)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा के अंतर्गत
(X)	क्या फार्म उद्यान वन्य जीव , अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी काराडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीवनकार्ड का टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	नहीं

(XI)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और दुर्लभ /संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातिया पाई जाती है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दे	नहीं
(XII)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारस्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हां तो तत्संबंधी सक्षम प्राधिकरण से अनापति प्रमाण पत्र के साथ साथ यदि अपेक्षित हो , दे	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1, कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है	प्रश्नगत कार्य किया जाना जनहित में है जिससे आस पास के लोगो को बात-चीत करने में सुविधा मिलेगी । प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास वन भूमि ही है अन्य कोई विकल्प वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है. इस हेतु भूमि की मांग न्यूनतम है अन्य कोई विकल्प वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोष अधिकारियो पर की गयी कार्यवाही वन ब्यौरा दे तथा उल्लंघन सम्बन्धी अभी भी चल रहे है	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन:ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खंडो की संख्या प्रत्येक भू-खंड का आकर	संलग्न है
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन सीमाओ को दर्शाता मैप	संलग्न है
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी ,समय अनुसूची लागत ढाचा आदि	संलग्न है
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिच्यय	प्रभावित क्षेत्र के बदले कुसुम्भी वन ब्लाक में 1.7922 हे० वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु रु० 376518.00 प्रस्तावित किया गया है।
V	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है

11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7,8,9 से पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए सलंगन करे।	सलंगन है
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
I	जिले के भौगोलिक क्षेत्र	415200 हे०
II	जिले का वन क्षेत्र	7113.913 हे०
III	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	25 मामले एवं 166.480136 हे०
IV	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वर्गीकरण	-
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	69.6572 हे०
ख	वनेत्तर भूमि	शून्य
ट	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	-
क	वन भूमि पर	65.372 हे०
ख	वनेत्तर भूमि पर	शून्य
13	प्रस्ताव की स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक विशेष सिफारिश	विन्ध्या टेलीलिवस लिमिटेड, ई0पी0सी0 डिवीजन प्लॉट नं0 ई 237 टावर ग्रीन, तृतीय तल फेज-8 वी औद्योगिक क्षेत्र मोहाली द्वारा खागा-विजईपुर-वरैनी- सातों-औरई-रामपुर किमी0 0.00 से 27.50 तक एवं खागा-नौवस्ता-हुसैनगंज-फतहेपुर किमी0 0.00 से 59.00 तक कुल लम्बाई 86.50 किमी0 एवं 0.8961 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के आर्टिकल फाइवर केंदिल दिखये जाने हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति मांगी जा रही है। जनहित में परियोजना स्वीकृति करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक :

प्रमाणित निदेशक
 सांवा 08/08/2018
 जिला वन संरक्षक
 नाम